दैनिक भास्कर

नारनौल 20-12-2024

## सार्वजनिक सूचना

# लाल डोरा / आबादीदेह शहरी क्षेत्र, जिला महेन्द्रगढ के सम्पत्ति प्रमाण पत्र बारे

इस नोटिस / इश्तिहार के माध्यम से सभी आम व खास को सूचित किया जाता है कि संपतिकर सर्वे के दौरान दर्ज प्रविष्टियों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक DULB/DMC-HQ-2024/142 दिनांक 12.03.2024 व पत्र क्रमांक DULB/CTP-II/2024/134 दिनांक 11.07.2024 द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला महेन्द्रगढ की सभी परिषद / पालिकाओं क्रमशः नारनौल, महेन्द्रगढ, अटेली मण्डी, नांगल चौधरी, कनीना द्वारा लाल डोरे/आबादीदेह में स्थित संपतियों का संपति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है जिसकी एक सूची सम्बन्धित नगर परिषद/ पालिकाओं की गृहकर / सम्पत्तिकर शाखा में व एक सूची सम्बन्धित नगर परिषद / पालिकाओं के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है जिसे कोई भी आमजन नगर परिषद / पालिकाओं कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर उपस्थित होकर सूची का अवलोकन कर सकता है, साथ में ही यह सूची सम्बन्धित परिषद / पालिकाओं की वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Narnaul/569, https://ulbharyana.gov.in/Mohindergarh/841#myCarousel, https://ulbharyana.gov.in/AteliMandi/2865, https://ulbharyana.gov.in/NangalChaudhary/844, https://ulbharyana.gov.in/Kanina/842 पर भी उपलब्ध है। जिस किसी आमजन को प्रकाशित सूची पर किसी प्रकार का एतराज या आपत्ति है तो वह अपने दस्तावेजो सहित प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अंदर-अंदर अपना एतराज / आपत्ति लिखित में दस्तावेजों सहित सम्बन्धित परिषद/ पालिकाओं की गृहकर/सम्पत्तिकर शाखा में सुनवाई हेतु जमा करवा सकता है। नोटिस की समयावधि समाप्त होने उपरान्त किसी भी एतराज / आपत्ति पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी सम्पत्ति पर कोई दावा / आपत्ति ना आने की एवज में जारी की गई सम्पत्ति प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में सम्बन्धित परिषद / पालिकाओं की कोई जिम्मेवारी ना होगी।

- जिला नगर आयुक्त
महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल।

हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Rohtak Main Edition 20.12.2024 - 20 Dec 2024 - Page 2

# सार्वजनिक सूचना

## लाल डोरा / आबादीदेह शहरी क्षेत्र, जिला महेंद्रगढ के संपत्ति प्रमाण पत्र बारे

इस नोटिस / इश्तिहार के माध्यम से सभी आम व खास को सूचित किया जाता है कि संपतिकर सर्वे के दौरान दर्ज प्रविष्टियों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक DULB/DMC-HQ-2024/142 दिनांक 12.03.2024 व पत्र क्रमांक DULB/CTP-II/2024/134 दिनांक 11.07.2024 द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला महेंद्रगढ की सभी परिषद / पालिकाओं क्रमशः नारनौल, महेंद्रगढ, अटेली मण्डी, नांगल चौधरी, कनीना द्वारा लाल डोरे / आबादीदेह में स्थित संपतियों का संपति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है जिसकी एक सूचि संबंधित नगर परिषद / पालिकाओं की गृहकर / संपत्तिकर शाखा में व एक सूचि संबंधित नगर परिषद पालिकाओं के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है जिसे कोई भी आम जन नगर परिषद / पालिकाओं कार्यालय में किसी भी कार्य दिसव पर उपस्थित होकर सूचि का अवलोकन कर सकता है, साथ में ही यह सूचि संबंधित परिषद / पालिकाओं की वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Narnaul/569, https://ulbharyana.gov.in/Mohindergarh/841#myCarousel, https://ulbharyana.gov.in/AteliMandi/2865, https://ulbharyana.gov.in/NangalChoudhary/844, https://ulb-haryana.gov.in/Kanina/842 पर भी उपलब्ध है। जिस किसी आमजन को प्रकाशित सूचि पर किसी प्रकार का एतराज या आपत्ति है तो वह अपने दस्तावेजों सहित प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर–अन्दर अपना एतराज / आपत्ति लिखित में दस्तावेजों सहित संबंधित परिषद / पालिकाओं की गृहकर / संपत्तिकर शाखा में सुनवाई हेतु जमा करवा सकता है। नोटिस की समयावधि समाप्त होने उपरान्त किसी भी एतराज / आपत्ति पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी संपत्ति पर कोई दावा / आपत्ति ना आने की एवज में जारी की गई संपत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में संबंधित परिषद / पालिकाओं की कोई जिम्मेवार नहीं होगी। सूचित रहें।

**जिला नगर आयुक्त, महेंद्रगढ स्थित नारनौल**